झारखण्ड सरकार

विधि विभाग

झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2007

सत्यमेव जयते

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय,
राँची द्वारा मुद्रित ।

झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2007

विषय-सूची

खण्ड ।

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ ।

2. झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 (अंगीकृत) की उपधारा-4(16) का प्रतिस्थापन ।

3. झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 (अंगीकृत) की धारा 10 की उपधारा 19 के पश्चात् उपधारा 20 की प्रविष्टि ।

4. संबद्ध अधिनियम की धारा 26 की उपधारा 6(ii) का प्रतिस्थापन ।

झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2007

झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 (अंगीकृत) के संशोधन हेतु विधेयक ।

भारत गणराज्य के 58वें वर्ष में झारखण्ड विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो,

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ :–

(i) **यह अधिनियम झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2007 कहा जा सकेगा;**

(ii) यह ऐसी तिथि से प्रवृत होगा, जिसे राज्य सरकार राजपत्र से अधिसूचना द्वारा नियत करेगी;

(iii) इसका विस्तार पूरे झारखण्ड राज्य में होगा।

2. झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 (अंगीकृत) जो इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा जाएगा की उपधारा 4 (16) का प्रतिस्थानः–

उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा.16 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किए जाएँगे, यथा–

"4 (16) विश्वविद्यालय अथवा राज्य सरकार द्वारा संचालित विभागों में स्नातकोत्तर स्तर की पढ़ाई एवं शोध कार्य को संचालित करना। स्नातकोत्तर स्तर की पढ़ाई परिनियम में वर्णित प्रावधानों एवं यू0जी0सी0 / ए0आई0सी0टी0ई0 / केन्द्रीय संगठनों के प्रावधानों के अनुसार वैसे स्वशासी / संबद्ध महाविद्यालयों में भी की जा सकेगी जिनमें संबंधित विषयों में स्नातक स्तर तक की पढाई संचालित करने का कम से कम 10 वर्षों का अनुभव हो।"

3. उक्त अधिनियम की धारा 10 की उपधारा 19 के बाद निम्नवत् उपधारा 20 प्रविष्टि माना जाएगा।

"10 (20) कुलपति को अंगीभूत महाविद्यालय के प्राचार्य को चार वर्षों की कालावधि समाप्त होने पर स्थानान्तरण करने की शक्ति होगी।"

4. उक्त अधिनियम की धारा 26 की उपधारा 6 (ii) निम्नवत् प्रतिस्थापित माना जाएगा। यथाः–

"26(6)(ii) विश्वविद्यालय के विभागों के विभागाध्यक्षों की नियुक्ति विश्वविद्यालय अथवा अंगीभूत महाविद्यालयों में पदस्थापित विश्वविद्यालय प्राचार्यों एवं वैसे उपाचार्यों जिन्हें कि उपचार्य के रूप में अनुभव 8 वर्षों से अन्यून न हो में से चक्रानुक्रम में 2(दो) वर्षों के लिए की जाएगी। स्नातकोत्तर विभागों में स्थानान्तरण अकादमिक रेकर्ड / शोध कार्य एवं प्रकाशन / शिक्षण अनुभव और समग्र रूप से विषय विशेषज्ञ के रूप में ख्याति के आकलन के आधार पर होगा। विभागाध्यक्ष के पद पर स्थानान्तरण वरीयता एवं अकादमिक विशिष्टता के आधार पर होगा।"

उद्देश्य एवं हेतु

बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 को कतिपय संशोधनों के साथ दिनांक 13.12.2000 को झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 के नाम से झारखण्ड सरकार द्वारा अंगीकृत किया गया है। परन्तु इसकी धारा 4 (16) के आलोक में स्वायतशासी/संबद्ध महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर की पढ़ाई की व्यवस्था नहीं की जा सकती है, जबकि अच्छे स्तर के महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर की पढ़ाई की व्यवस्था करने की आवश्यकता है। जिस हेतु उक्त अधिनियम की उप धारा 4 (16) में परिवर्त्तन अपेक्षित है।

अंगीभूत महाविद्यालयों के प्राचार्य लंबी अवधि तक एक ही महाविद्यालय में पदस्थापित रहते हैं, जिससे महाविद्यालया की प्रशासनिक व्यवस्था प्रतिकूल रूप से प्रभावित होती है। ऐसी स्थिति में इस कमी को दूर करने के लिए अंगीभूत महाविद्यालयों के प्राचार्यों का प्रत्येक चार वर्ष पर स्थानान्तरण का अधिकार संबंधित विश्वविद्यालय के कुलपति का देने की आवश्यकता है। इस कमी को दूर करने के लिए उप धारा 10 (19) के पश्चात् एक उप धारा 10 (20) को जोड़ने की आवश्यकता है।

माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा डब्लू0पी0(एस0) नं0–3946/2004 में दिनांक 29.06.2006 को पारित न्यायादेश द्वारा झारखण्ड विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 (यथा अद्यतन संशोधित) की उप धारा 26 (6) (ii) को अल्ट्रा वायरस घोषित कर दिये जाने के फलस्वरूप उक्त उप धारा के प्रावधान को नये प्रावधान द्वारा प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता है।

उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 (अंगीकृत) में संशोधन आवश्यक हो गया है एवं उक्त संशोधन ही इस संशोधन विधेयक का अभीष्ट है।

(बंधु तिर्की)
भार साधक सदस्य

झा०रा०मु०राँची–(विधि) 1(A)--170--4-4-2007 ।